न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 07/2017

दर्ज दिनांक :13/06/2017

निर्णय दिनांक : 16/11/2017

हरजीराम पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट, निवासीः सदारामपुरा, पोस्ट थली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

---वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजवत एडवोकेट

श्री शेर सिंह नरूका एडवोकेट

श्री गुलवीर खींची एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः 16/11/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 27 के आराजी खसरा नंबर 59/1 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा ग्राम हनुतियाकलां पटवार हल्का डिडावता, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रार्थी का नाम हरिनारायण पुत्र श्योनारायण दर्ज हो

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

रखा है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरजीराम पुत्र श्योनारायण है जो खाता संख्या 029 भूमि वाके ग्राम सदारामपुरा पटवार हल्का थली भू.अभि.नि.क्षेत्र कादेडा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर की जमाबंदी में यही नाम दर्ज है जो राशनकार्ड, मतदाता पहचान, आधारकार्ड व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम हरजीराम पुत्र श्योनारायण दर्ज है जबकि उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम हरिनारायण पुत्र श्योनारायण दर्ज हो गया जो गलत है इसलिये न्यायहित में प्रार्थी का सही नाम हरिनारायण पुत्र श्योनारायण के स्थान पर हरजीराम पुत्र श्योनारायण राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। हरिनारायण पुत्र श्योनारायण व हरजीराम पुत्र श्योनारायण जाट एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि खतौनी संख्या 029 भूमि वाके ग्राम सदारामपुरा पटवार हल्का थली भू.अभि.नि.क्षेत्र कादेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर में वादी का नाम हरजीराम पुत्र श्योनारायण जाट दर्ज है एवं वादी का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र से पूर्णतया सिद्व होता है कि वादी का नाम हरजीराम पुत्र श्योनारायण है इसलिये वादी का नाम हरिनारायण की जगह हरजीराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरूस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है आराजीयात के वादी रिपॉर्टेड खातेदार काश्तकार है एवं शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन वरवक्त विक्रय पत्र तस्दीक करवाते समय वादी का हरजीराम पुत्र श्योनारायण के स्थान पर बोलता नाम हरिनारायण पुत्र श्योनारायण दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जबकि वादी का नाम हरजीराम पुत्र श्योनारायण जाट सही है तथा वादी ने अपना नाम हरिनारायण पुत्र श्योनारायण व हरजीराम पुत्र श्योनारायण के स्थान पर राजस्थान राज–पत्र साधारण द्वारा वादी ने अपना नाम हरजीराम पुत्र श्योनारायण जाट निवासी सदारामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर दिनांक 30.06.2016 को दुरूस्त करवा लिया है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में हरिनारायण के स्थान पर हरजीराम जाट करवाने का कानूनन अधिकारी है अभी हाल ही में दिनांक 10.05.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकॉर्ड में हरिनारायण है जबकि सही नाम

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

हरजीराम है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाये जावे कि वाद पत्र में वर्णित अनुसार आराजी पे वादी खातेदार काश्तकार हैं एवं राजस्व रिकॉर्ड में हरिनारायण के स्थान पर हरजीराम जाट दुरूस्त किया जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की आराजीयात में किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करे, न ही अन्य किसी हाली सीरी ऐजेण्ट, सर्वेण्ट से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से परोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने वादी, रामसहाय पुत्र रामनारायण जाट एवं नानगराम पुत्र मोहन जाट के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी के उक्त आराजीयात विक्रय पत्र द्वारा आई है जो हरिनारायण पुत्र श्योनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के आराजीयात विक्रय पत्र नामान्तकरण संख्या 187 ग्राम हनुतियाकला के द्वारा हरिनारायण पुत्र श्योनारायण के नाम आई है जो सही है। वादी हरिनारायण के स्थान पर हरजीराम करवाना चाहता है।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटोप्रति राशनकार्ड, ग्राम पंचायत चली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 11.05.2017, शपथ पत्र वादी हरजीराम पुत्र श्योनारायण, रामसहाय पुत्र रामनारायण जाट एवं नानगराम पुत्र मोहन जाट, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरिनारायण दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में हरिनारायण के स्थान पर हरजीराम दर्ज करवाना चाहा है।

वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधारकार्ड एवं राशनकार्ड में वादी का नाम हरजीराम अंकित है। ग्राम पंचायत थली ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 11.05.2017 में एवं गवाहान रामसहाय पुत्र रामनारायण जाट एवं नानगराम पुत्र मोहन जाट ने अपने शपथ पत्रो में हरिनारायण एवं हरजीराम दोनो नाम वादी के होने एवं वादी का सही व वास्तविक नाम हरजीराम होने का कथन किया है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यो पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज हरिनारायण को हजफ कर इसके स्थान पर हरजीराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 59/1 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा ग्राम हनुतियाकला, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज हरिनारायण को हजफ कर इसके स्थान पर हरजीराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

हरजीराम पुत्र श्योनारायण

बनाम

तहसीलदार फागी

– दावा घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा –

मुकदमा नं० – 67/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई [illegible] प्रतिवादी मिनजानिब मदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री दिया जाकर खसरा नंबर 59/1 रकबा 42 बीघा 05 बिस्वा ग्राम हनुतियाकला, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज [illegible] हरिनारायण को हजफ कर इसके स्थान पर हरजीराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

मिन.........—.........गुजरिश............—..............बाबत..........—..........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........—.........फीसदी —— सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.........—.........का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/11/2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, फागी (जयपुर)

दस्तखत........उपखण्ड अधिकारी

ओहदा........फागी (जयपुर)

मदें	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	NIL		स्टाम्प अर्जी दावा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प नकल नमूना			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)